समयबद्ध / अतिमहत्वपूर्ण
संख्या– 3268/9–1–2022–04निर्वाचन/2017

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः28अक्टूबर, 2022

विषय–नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में कक्षों हेतु आरक्षण का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3248/9–1–2022–04निर्वाचन/2017, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में कक्षों हेतु आरक्षण का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. अवगत कराना है कि नगरीय निकाय निर्वाचन, 2022 के प्रयोजनार्थ निकायों का परिसीमन एवं अन्य पिछड़े वर्ग का सर्वे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जा रहा है, अतएव निकायों के कक्षों के आरक्षण के प्रस्ताव में निम्नवत् तथ्यों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाय :–

(i) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या का निर्धारण किया जाय।

(ii) गत नगरीय निकाय निर्वाचन, 2017 के पश्चात् नवसृजित/सीमा विस्तारित कुल 241 निकायों में ही अन्य पिछड़े वर्ग के अवधारण हेतु रैपिड सर्वे के ऑकड़ों के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाय। अन्य निकायों, जिनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन निकायों में वर्ष 2017 निर्वाचन के प्रयोजनार्थ कराये गये रैपिड सर्वे के उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर ही कक्ष आरक्षण का निर्धारण किया जाय।

(iii) जिन निकायों के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके गत निर्वाचन के कक्षों के समेकित ऑकड़े भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में कक्षों हेतु आरक्षण का प्रस्ताव संलग्न 02 प्रारूप में विधि व्यवस्था एवं नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार तैयार कराकर 02 प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी में (हिन्दी में MS OFFICE WORD DS Kruti Dev 010 Font, Size 16 में) दिनांक 04.11.2022 तक अनिवार्य रूप से प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–1, उ0प्र0शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी) 28/10/22
विशेष सचिव।

el go

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित नगर आयुक्त,/संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/संबंधित अधिशासी अधिकारी (द्वारा जिलाधिकारी)
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौधरी) 25/10/22

विशेष सचिव।

el go

<u>प्रारूप–1</u>

जनपद का नाम- निकाय का नाम-

निकाय की कुल जनसंख्या	अनु0 जाति की जनसंख्या	अनु0 जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	अनु0 जन जाति की जनसंख्या	अनु0 जन जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	पिछड़े वर्ग की जनसंख्या	पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत	कुल कक्षों की संख्या	अनु0 जाति की महिला हेतु आरक्षित कक्षों की संख्या	अनु0 जाति हेतु आरक्षित कक्षों की संख्या	अनु0 जन जाति की महिला हेतु आरक्षित कक्षों की संख्या	अनु0जन जाति हेतु आरक्षित कक्षों की संख्या	पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित कक्षों की संख्या	पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित कक्षों की संख्या	अनारक्षित महिला हेतु आरक्षित कक्षों की संख्या	अनारक्षित कक्षों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(हस्ताक्षर)

जिलाधिकारी

प्रारूप–2

जनपद का नाम-									निकाय का नाम-		
निकाय में समस्त कक्षों के आरक्षण का समेकित विवरण											
क्रम संख्या	कक्ष संख्या	**कक्ष का नाम** (शासनादेश दिनांक 21.10.2022 के अनुसार यदि किसी नये कक्ष क सृजन हुआ हो, तो उसके नाम के सम्मुख उक्त सूचना का भी उल्लेख किया जाय।)	कक्ष की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)	अनु0 जाति की जनसंख्या	अनु0 जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	अनु0 जन जाति की जनसंख्या	अनु0 जन जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	पिछड़े वर्ग की जनसंख्या	पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत	वर्तमान आरक्षण	प्रस्तावित आरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(हस्ताक्षर)

जिलाधिकारी